**राजस्थान सरकार**
**ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग**
**(ग्रुप–3, नरेगा)**

क्रमांक एफ 4(29)ग्रावि/ग्रुप–3/नरेगा/निरी./प्र.स./भीलवाडा/09–10 जयपुर, दिनांक

जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं
जिला कलक्टर
समस्त राजस्थान।

24 JUN 2009

विषयः **नरेगा योजना में बुजर्ग/विकलांग श्रमिकों के नियोजन के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि कार्यो के निरीक्षण के दौरान अधिकांशतः यह पाया गया है कि कार्यो पर बुजर्ग, विकलांग व अक्षम श्रमिकों को कठिन परिश्रम के कार्य पर नियोजित किया जाता है जबकि शारीरिक रूप से कमजोर एवं बुजर्ग/ विकलांग श्रमिकों को कम मेहनत के कार्यो पर (पानी पिलाना, मिट्टी की कुटाई, लेवलिंग आदि कार्य) नियोजित किया जा रहा है। मानवीयता के नाते इस तरह का नियोजन गलत है एवं इस में तत्काल सुधार किये जाने की आवश्यकता है।

यद्यपि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत सभी संवर्ग एवं उम्र के व्यक्तियों को कार्यो पर नियोजित करने का प्रावधान है। इस बिन्दु को दृष्टिगत रखते हुए नरेगा योजना में निर्धारित टास्क को कम किया गया है।

अतः यह निर्देशित किया जाता है कि कार्यो पर मजदूरों में से बुजर्ग/अक्षम श्रमिकों को प्राथमिकता से कम मेहनत वाले कार्यो पर लगाया जावे। एक कार्यस्थल पर एक से अधिक बुजर्ग/अक्षम श्रमिक होने पर रोटेशन से लगाया जावे। ज्यादा संख्या में बुजर्ग/अक्षम श्रमिक होने की स्थिति में 5–5 के ग्रुप में एक बुजर्ग/अक्षम श्रमिक को आवश्यक रूप से नियोजित किया जावे।

भवदीय,

**(राजेन्द्र भाणावत)**
**आयुक्त, ईजीएस**